GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 148/91.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, dated 24-6-1991.

The General Managers,
All Indian Railways, etc.
As per standard mailing list.

Subject: Grant of Hospital Leave - Provisions under Rule 554-R.I., 1985 Edition.

Prior to the 1985 Edition of the Indian Railway Establishment Code, Volume I, the provisions in respect of Hospital Leave read as follows:

"753(1) Hospital leave may be granted to Railway servants other than Gazetted Railway servants - to whom the Rules in this Chapter apply, while under medical treatment for injuries sustained on duty, on leave salary equal either to that which would be admissible to the Railway servant concerned on leave on average pay or half-average pay (full pay or half-pay in the case of temporary staff governed by the Rules in Section II) as the authority granting it may consider necessary.
(2) The amount of Hospital leave which may be granted by the General Manager to Railway servants is unlimited."

The Rules also provided for combination of Hospital Leave with any other leave which may be admissible provided the total period of leave after such combination did not exceed 28 months.

2. It can be seen that the above Rule did not put any ceiling limit on the grant of Hospital Leave on Average Pay or Half-Average Pay and it was left to the discretion of the competent authority to grant the leave on the merits of the case. To bring these provisions on par with the Hospital Leave Rules existing on the Civil side, a change was brought about in the 1985 Edition of Indian Railway Estt. Code in as much as it restricted the grant of Hospital leave on leave salary (i) equal to the leave salary while on Leave on Average Pay for the first 120 days of any period of such leave and (ii) equal to leave salary during half-pay leave for the remaining period of any such leave.

3. In the DC/JCM meeting held on 19/20-12-89, the Staff side demanded restoration of the pre 1985 provisions on the ground that the Railway working is peculiar and that the Railway employees are more prone to injuries on duty requiring treatment over a longer period as compared to the other Central Govt. employees. The Board after careful examination of the matter have decided not to grant any general relaxation in the extant provisions of Hospital leave as incorporated

....2/-

in Rule 554-R.I., 1985 Edition. However, individual cases meriting sanction of Hospital leave beyond a period of 120 days, on leave salary equal to salary while on Leave on Average Pay, may be referred to the Board with the personal recommendation of the General Manager for relaxation of the Rule on case-to-case basis.

4. These orders take effect from date of issue of this letter.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Kindly acknowledge receipt.

(A.C.BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A),
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, dated 21-8-1991.

Copy to the FA & CAOs, All Indian Railways, etc.

(A.C.BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A),
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, dated 21-8-1991.

Copy to the ADAI(Railways), N.Delhi, with 40 spares.

for Financial Commisioner/Rlys.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, dated 21-8-1991.

Copy forwarded to :-
Federations and Staff Associations.

for Secretary/Railway Board.

Copy to :-

PS to CRB, FC, ME, MM, MS, Adv(S), Adv(F), ML, Secretary.

Sr.PAs to EDE, EDEB, EDF(B), EDPC, EDE(N), EDE(IR), ED(PR)

PAs to DF(E), JDE(P&A), JDE(L), JDE(LL), JS(G), JS(E), DS()
DS(G), US(D&A)I, US(D&A)II, DDE(G), DDF(E)I, DDF(E)II, DDF(E)III,

E(P&A)II, PCIII, PCIV, ERB-I/II/III/IV, E(O)I/II/III, E(LR)I,
F(E)I/II/III, F(E)Spl, Budget Branches, Code Revision Cell,
CashI/II/III, E(NG)I/II, E(D&A), A/Cs III(with 10 spares),
A/Cs Inspection Cell(with 5 spares), E(G) with 2 spares, E(W).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) आर बी ई सं॰ 148/91

सं॰ ई(पी&डब्ल्यू)1-89/जेसीएम/डीसी-5 नई दिल्ली, दिनांक: 21.8.1991

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, आदि
मानक डाक सूची के अनुसार ।

विषय :- अस्पताल छुट्टी दिया जाना -नियम 554-आर ।, 1985 संस्करण के अंतर्गत प्रावधान ।

भारतीय रेल स्थापना संहिता, वाल्यूम । के 1985 संस्करण से पहले अस्पताल छुट्टी के संबंध में प्रावधान इस प्रकार पढ़े जाते थे :

" 753 (1) राजपत्रित रेल कर्मचारियों से भिन्न रेल कर्मचारियों को जिन पर इस अध्याय के नियम लागू होते हैं, ड्यूटी के दौरान पहुंची चोटों के इलाज के वास्ते संबंधित रेल कर्मचारी को औसत वेतन अवकाश पर अनुमेय छुट्टी वेतन या आधे औसत वेतन पर (खंड-1।' के नियमों द्वारा शासित अस्थायी कर्मचारियों के मामले में पूरा वेतन या आधा वेतन), जैसा कि छुट्टी प्रदान करने वाला प्राधिकारी आवश्यक समझे, अस्पताल छुट्टी प्रदान की जा सकती है।
(2) रेल कर्मचारियों को महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अस्पताल छुट्टी की कोई सीमा नहीं है ।"

नियमों में यह व्यवस्था भी थी कि अस्पताल छुट्टी के साथ किसी अन्य अनुमेय छुट्टी को जोड़ा जा सकता था बशर्ते कि इस प्रकार जोड़ी गयी छुट्टियों की कुल अवधि 28 महीनों से अधिक न हो ।

2. यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त नियम में औसत वेतन अथवा आधे औसत वेतन पर अस्पताल छुट्टी दिए जाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी और यह सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि वह मामले के गुणदोष के आधार पर छुट्टी प्रदान करे । इन प्रावधानों

....2/-

को सिविल विभागों के अस्पताल छुट्टी नियमों के समान बनाने के लिए भारतीय रेल स्थापना संहिता के 1985 संस्करण में इतना परिवर्तन किया कि छुट्टी वेतन पर अस्पताल छुट्टी दिए जाने (i) औसत वेतन अवकाश पर रहते हुए, ऐसी छुट्टी की किसी भी अवधि के पहले 120 दिन के लिए छुट्टी वेतन के समान, और (ii) ऐसी किसी छुट्टी की शेष अवधि के लिए आधे वेतन पर अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन के समान प्रतिबंधित कर दिया गया ।

3. विभागीय परिषद/संयुक्त परामर्शी तंत्र की 19/20.12.89 को हुई बैठक में, कर्मचारी पक्ष ने 1985 पूर्व प्रावधानों को इस आधार पर दोबारा लागू करने की मांग की कि रेलों की कार्यप्रणाली विशिष्ट किस्म की है और केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की तुलना में रेल कर्मचारियों के ड्यूटी पर घायल होने की अधिक संभावना होती है जिसके लिए उन्हें लम्बे समय तक इलाज कराने की आवश्यकता होती है । बोर्ड ने मामले की गहराई से जांच करने के बाद विनिश्चय किया कि 1985 संस्करण के नियम 554-आर.1 यथा सम्मिलित अस्पताल छुट्टी संबंधी मौजूदा प्रावधानों में कोई सामान्य रियायत न दी जाए । बहरहाल, औसत वेतन अवकाश में वेतन के समान छुट्टी वेतन पर 120 दिन से अधिक अवधि की अस्पताल छुट्टी की स्वीकृति के योग्य अलग-अलग मामले ; नियमों में छूट देने के वास्ते महाप्रबंधक की व्यक्तिगत सिफारिश के साथ बोर्ड को भेजे जाएं ।

4. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

5. यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है ।

कृपया पावती दें ।

(ए. सी. बक्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.),
रेलवे बोर्ड ।

...3/-

सं. ई(पीएंडए)I-89/जेसीएम/डीसी/5 नई दिल्ली, दिनांक: 21.8.1991

प्रतिलिपि: वि.स.एवं मु.ले.अधि., सभी भारतीय रेलों आदि को ।

(ए.सी. बक्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था.(वे.एवं भ.),
रेलवे बोर्ड ।

सं. ई(पीएंडए)I-89/जेसीएम/डीसी/5 नई दिल्ली, दिनांक: 21.8.1991

प्रतिलिपि : (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप अपर मुख्य नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (रेलवे) को ।

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

सं. ई(पीएंडए)I-89/जेसीएम/डीसी/5 नई दिल्ली, दिनांक: 21.8.1991

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

फेडरेशन और कर्मचारी एसोसिएशनें

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।

-:-